

अपीलार्थी:-

श्री हैदर अली पुत्र श्री इसराइल आम  
नागरिक युवा पार्टी कार्यालय ग्राम नलहड  
तहसील नूह हरियाणा-122107

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर  
विकास न्यास, अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :-

दिनांक:-21.06.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 07.04.21 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.06.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को चाही गई सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, प्रा0पत्र शामिल हों। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उप0 नहीं।
5. पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर को कार्यालय के पत्रांक 957 दिनांक 26.05.21 व 1055 दिनांक 17.06.21 से जबाब /वाँछित सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था, किन्तु वाँछित जबाब/सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वाँछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियम समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(नन्मूल पहाडिया)

जिला कलेक्टर नगर विकास न्यास  
अलवर एवं जिला कलेक्टर, अलवर